



इन्दिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशास्य संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./60/2024/

/Accom. Sec.

दिनांक:-

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत निम्न चिकित्सकों को उनके अनुरोध पत्र के आलोक में उनके नाम के समक्ष अंकित आवास तत्काल प्रभाव से आवंटित किया जाता है, जो इस प्रकार है:-

Sl. no.	Name	Designation	Department	Quarter type
1.	Dr. Priyanka Kumari	Assistant Professor	General Surgery	Old D Type- 4/5
2.	Dr. Gulshan Kumar	Assistant Professor	Anaesthesiology	Old D Type- 6/6

आवंटित आवास अधीक्षण अभियंता, अभियंत्रण शाखा अधीक्षण अभियंता कार्यालय (सिविल) से सम्पर्क कर अधिग्रहण की जाए। विद्युत आपूर्ति हेतु संस्थान के विद्युत विभाग से संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

आवंटित आवास आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर अधिग्रहण से संबंधित स्वीकृति पत्र देकर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें। अन्यथा आपका आवास रद्द किया जा सकता है एवं भविष्य में एक वर्ष के लिए आवंटन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा।

विशेष निर्देश:-

- (1) आवंटित आवास में सिविल कार्य (मरम्मत एवं पेंटिंग) के लिए अभियंत्रण शाखा, अधीक्षण अभियंता कार्यालय में सहायक अभियंता (सिविल) से संपर्क करें।
- (2) आवंटित आवास में विद्युत कार्य एवं विद्युत आपूर्ति के लिए अभियंत्रण शाखा, अधीक्षण अभियंता कार्यालय में कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता (विद्युत) से संपर्क करें।

हो/-

डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गो०आयु०सं०, पटना

दिनांक-24/11/2024

ज्ञापक:- Q.A./60/2024/05/Accom. Sec.

प्रतिलिपि:- उक्त संकाय/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गो०आयु०सं०, पटना-14

1.26



इन्दिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशायसी संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./58/MDH/2024/ 06 /Accom. Sec.

दिनांक-24/11/2024

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत Dr. Babuya Nandan Sharma, DNB-1, Surgical oncology को उनके अनुरोध पत्र दिनांक 03.01.2026 के आलोक में छात्रावास/आवास संख्या Old MDH-1/2 तत्काल प्रभाव से आवंटित किया जाता है।

आवंटित आवास अधीक्षण अभियंता, अभियंत्रण शाखा, अधीक्षण अभियंता कार्यालय (सिविल) से सम्पर्क कर अधिग्रहण की जाए। विद्युत आपूर्ति हेतु संस्थान के विद्युत विभाग से संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

आवंटित आवास आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर अधिग्रहण से संबंधित स्वीकृति पत्र देकर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें, अन्यथा आपका आवास रद्द किया जा सकता है एवं भविष्य में एक वर्ष के लिए आवंटन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा।

नोट

1. **Residency Programme/ Tenure** पूरा होने अथवा त्यागपत्र देने पर आवास/छात्रावास खाली करने/अन्य प्रक्रिया पूरी करने हेतु एक माह (30 दिन) तक का समय दिया जाएगा। इस अवधि के लिए एक माह का License Fee देय होगा।
2. एक माह के बाद से पूर्व की भौति (Basic + NPA) का 25% प्रतिमाह की दर से पेनाल्टी देय होगा।

ह० / —

डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गॉ०आ०सं०, पटना-14

ज्ञापांक:- Q.A./58/MDH/2024/ 06 /Accom. Sec.

दिनांक-24/11/2024

प्रतिलिपि:- Dr. Babuya Nandan Sharma, DNB-1, Surgical oncology /निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

24/11/2024

डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गॉ०आयु०सं०, पटना-14



इन्दिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना- 14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशास्य संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक: Q.A./58/2024/

/Accom. Sec.

दिनांक-

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत Dr. Abhavya Shree, PDCC-SR (CCM), Anaesthesiology को उनके अनुरोध पत्र दिनांक 30.12.2025 के आलोक में नियमानुसार प्रथम बदलाव के तहत, इन्हें पूर्व में आवंटित आवास संख्या Old MDH- 3/10 को रद्द करते हुए, आवास सं० Old MDH- 3/7 तत्काल प्रभाव से आवंटित किया जाता है।

आवंटित आवास सं० Old MDH- 3/7 का अधिग्रहण के पश्चात् पूर्व में, आवंटित आवास सं० Old MDH- 3/10 को अधीक्षण अभियंता (सिविल) को समर्पित करेंगे।

आवंटित आवास अधीक्षण अभियंता, अभियंत्रण शाखा अधीक्षण अभियंता कार्यालय (सिविल) से सम्पर्क कर अधिग्रहण की जाए। विद्युत आपूर्ति हेतु संस्थान के विद्युत विभाग से संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

आवंटित आवास आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर अधिग्रहण से संबंधित स्वीकृति पत्र देकर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें, अन्यथा आपका आवास रद्द किया जा सकता है एवं भविष्य में एक वर्ष के लिए आवंटन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा।

नोट

1. **Residency Programme/ Tenure** पूरा होने अथवा त्यागपत्र देने पर आवास/छात्रावास खाली करने/अन्य प्रक्रिया पूरी करने हेतु एक माह (30 दिन) तक का समय दिया जाएगा। इस अवधि के लिए एक माह का License Fee देय होगा।
2. एक माह के बाद से पूर्व की भौति (Basic + NPA) का 25% प्रतिमाह की दर से पेनाल्टी देय होगा।

ह०/-

डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गो०आयु०सं०, पटना

दिनांक-24/11/2024

ज्ञापक:- Q.A./58/2024/ 08 /Accom. Sec.

प्रतिलिपि:- Dr. Abhavya Shree, PDCC-SR, Anaesthesiology/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गो०आयु०सं०, पटना



इन्दिरा गॉंधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशायसी संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:—Q.A./65-A/2025/ 10 /Accom. Sec.

दिनांक— 28/11/2026

सेवा में,
वित्तीय सलाहकार,
इ०गॉ०आ०सं०, पटना—14

विषय:— सत्र (2024–2027) के पी०जी० छात्र एवं छात्राओं को छात्रावास/आवास की अनुपलब्धता के एवज/प्रतिफल में आवास भत्ता निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त प्रसांगिक विषयक के आलोक में सूचित करते हुए कहना है कि संस्थान में PG के छात्र एवं छात्राओं ने सत्र (2024-2027) में नामांकन लिया है। उक्त छात्र—छात्राओं ने संस्थान में आवास आवंटन के आलोक में आवेदन दिया है, परंतु आवास की उपलब्धता न होने के कारण इनको आवास आवंटित नहीं किया जा सका है, जो नाम इस प्रकार है:—

1st Yr.PG Students who have applied for allotment of accommodation but have not got the accommodation yet.
Session (2024-2027)

Sl no.	Candidate Name	Designation	Department	Date of Joing	Apply Date	Session
1	Dr. Jitesh Kumar	JR1	Radiation Oncology	03-03-2025	17-09-2025	2024-2027
2	Dr. Rohit Raj	JR1	Pulmonary	29-01-2025	24-09-2025	2024-2027

दिनांक 23/05/2025 को आवासीय सलाहकार समिति की बैठक के मद संख्या-4 में लिए गये निर्णय के आलोक में एवं सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरांत, उपरोक्त पोस्ट ग्रेजुएट छात्र—छात्राओं को संस्थान में आवास/हॉस्टल आवंटित न होने के कारण नियुक्ति की तिथि से आवास भत्ता का भुगतान करने हेतु स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

अतः उक्त PG छात्र—छात्राओं को संस्थान परिसर में आवास आवंटन न होने के उपरांत संस्थान में नियुक्ति के तिथि से आवास भत्ता निर्गत किया जा सकता है, परंतु भविष्य में संस्थान में कोई आवास रिक्त होता है या आवास उपलब्ध होता है तो उक्त PG छात्र—छात्राओं को क्रमानुसार आवास आवंटित किया जाएगा, जिसके लिए वे नियमानुसार बाध्य होंगे तथा आवंटन की तिथि से उनका आवास भत्ता कटौती किया जाएगा।

उक्त के आलोक में सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/—

प्र० (डॉ०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गॉ०आयु०सं०, पटना

ज्ञापांक:— Q.A./65-A/2025/ 10 /Accom. Sec.

दिनांक— 28/11/2026

प्रतिलिपि:—सभी PG छात्र—छात्राएँ/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:—अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28/11/26

प्र० (डॉ०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति

Recd. 28/11/26



इन्दिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना- 14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशायसी संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक: Q.A./58/2024/MDH/

/Accom. Sec.

दिनांक-

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत Dr. Mangeeta Kumari, PDCC-SR, Onco-Anaesthesiology को उनके अनुरोध पत्र दिनांक 08.11.2026 के आलोक में नियमानुसार प्रथम बदलाव के तहत, इन्हें पूर्व में आवंटित आवास संख्या New MDH- 35 को रद्द करते हुए, आवास सं० Old MDH- 1/10 तत्काल प्रभाव से आवंटित किया जाता है।

आवंटित आवास सं० Old MDH- 1/10 का अधिग्रहण के पश्चात् पूर्व में, आवंटित आवास सं० New MDH- 35 को अधीक्षण अभियंता (सिविल) को समर्पित करेंगे।

आवंटित आवास अधीक्षण अभियंता, अभियंत्रण शाखा अधीक्षण अभियंता कार्यालय (सिविल) से सम्पर्क कर अधिग्रहण की जाए। विद्युत आपूर्ति हेतु संस्थान के विद्युत विभाग से संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

आवंटित आवास आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर अधिग्रहण से संबंधित स्वीकृति पत्र देकर अद्योहस्ताक्षरी को सूचित करें, अन्यथा आपका आवास रद्द किया जा सकता है एवं भविष्य में एक वर्ष के लिए आवंटन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा।

नोट

1. **Residency Programme/ Tenure** पूरा होने अथवा त्यागपत्र देने पर आवास/छात्रावास खाली करने/अन्य प्रक्रिया पूरी करने हेतु एक माह (30 दिन) तक का समय दिया जाएगा। इस अवधि के लिए एक माह का License Fee देय होगा।
2. एक माह के बाद से पूर्व की भौति (Basic + NPA) का 25% प्रतिमाह की दर से पेनाल्टी देय होगा।

ह०/-

डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गो०आयु०सं०, पटना

दिनांक- 24/11/2026

ज्ञापक:- Q.A./58/2024/MDH/ 07 /Accom. Sec.

प्रतिलिपि:- Dr. Mangeeta Kumari, PDCC-SR, Onco-Anaesthesiology /निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गो०आयु०सं०, पटना

02/11/26



इन्दिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशास्य संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./65-A/2025/०९ /Accom. Sec.

दिनांक-28/11/2026

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत निम्न चिकित्सकों को उनके अनुरोध पत्र के आलोक में उनके नाम के समक्ष अंकित आवास तत्काल प्रभाव से आवंटित किया जाता है, जो इस प्रकार है:-

Sl. no.	Name	Designation	Department	Quarter Type
1.	Dr. Sudhir Kumar	JR1	Radiation oncology	A Type (PG Quarter) B- 03

आवंटित आवास अधीक्षण अभियंता, अभियंत्रण शाखा, अधीक्षण अभियंता कार्यालय (सिविल) से सम्पर्क कर अधिग्रहण की जाए। विद्युत आपूर्ति हेतु संस्थान के विद्युत विभाग से संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

आवंटित आवास आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर अधिग्रहण से संबंधित स्वीकृति पत्र देकर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें, अन्यथा आपका आवास रद्द किया जा सकता है एवं भविष्य में एक वर्ष के लिए आवंटन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा।

नोट

1. **Residency Programme/ Tenure** पूरा होने अथवा त्यागपत्र देने पर आवास/छात्रावास खाली करने/अन्य प्रक्रिया पूरी करने हेतु एक माह (30 दिन) तक का समय दिया जाएगा। इस अवधि के लिए एक माह का License Fee देय होगा।
2. एक माह के बाद से पूर्व की भौति (Basic + NPA) का 25% प्रतिमाह की दर से पेनाल्टी देय होगा।

ह० / -

डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गौ०आ०सं०, पटना-14

दिनांक-28/11/2026

ज्ञापांक:- Q.A./65-A/2025/०९ /Accom. Sec.

प्रतिलिपि:- उक्त पी०जी० छात्र एवं छात्राओं/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

J. K. D.
28/11/26

डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गौ०आ०सं०, पटना-14